इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 जनवरी 2016—पौष 17, शक 1937

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2016

क्र. एफ 22-22-2015-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 110 (1) सहपठित केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 118 के अंतर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 290 (ई) दिनांक 15 अप्रैल 2015 के अनुसरण में राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह आदेश देती है कि इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से मध्यप्रदेश राज्य में प्रचलित ऐसे मोटरयानों में, जो 1 अक्टूबर 2015 के पूर्व रजिस्ट्रीकृत हैं, एवं जिनमें कोई गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) पहले से नहीं लगे हैं और जो केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 118 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन नहीं आते हैं, उनके प्रचालकों द्वारा 1 अप्रैल 2016 को या उससे पूर्व समय-समय पर यथासंशोधित ए.आई.एस.: 018/2001 के अनुरूप 80 कि.मी. प्रति घण्टा की अधिकतम पूर्व नियत गति या ऐसी न्यूनतम गति जो कि विनिर्दिष्ट की जाए, रखने वाले गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) लगाये जायेंगे:

परन्तु 1 अक्टूबर 2015 से पूर्व रजिस्ट्रीकृत परिसंकटमय माल का वहन करने वाले प्रवर्गों के परिवहन यानों और परिवहन यानों जैसे डम्पर, टेंकर या स्कूल बस जिनमें, कोई गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) पहले से नहीं लगी है, के प्रचालकों को समय-समय पर यथासंशोधित ए.आई.एस.: 018/2001 मानक के अनुरूप नियत की गई 60 कि.मी. प्रति घण्टा की अधिकतम पूर्व नियत गति या ऐसी न्यूनतम गति जो कि विनिर्दिष्ट की जाए, रखने वाले गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) लगाने होंगे.

No. F-22-22-2015-VIII.—In pursuance of the notification dated 15th April 2015 bearing no. GSR 290 (E) of the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, issued under sub-section (1) of Section 110 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988) read with Rule 118 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the State Government, hereby order that the categories of transport vehicles registered prior to the 1st October 2015 which are not already fitted with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function) and are not covered under the first proviso to sub-rule (1) of the Rule 118 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall be equipped or fitted by the operators of those vehicles on or before 1st April 2016 with a speed governor (speed limiting device or speed

limiting function) having maximum pre-set speed of 80 Kilometer per hour or such lower speed limit as specified conforming to the Standard AIS: 018/2001, as amended from time to time:

Provided that the categories of transport vehicles carrying hazardous goods and those transport vehicles that are dumpers, tankers or school buses, registered prior to the 1st October 2015 and not already fitted with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function), shall be equipped or fitted by the operator such vehicle, with a speed governor (speed limiting device of speed limiting function) having maximum pre-set speed of 60 Kilometer per hour or such lower speed limit as specified conforming to the Standard AIS: 018/2001, as amended from time to time.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.